BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL (MP)

ORIGINAL APPLICATION No 77/ 2024

"News item titled "Rajasthan mein avaidh khanan ka mila khel 21 crore se adhik ke Shaasti Lagai" appearing in Abhay India Dated 28.01.2024.

FACTUAL CUM ACTION TAKEN REPORT BY STATE IN TERMS OF ORDER DATED 22/03/2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL .

That in terms of directions issued by this Hon'ble Tribunal dated 22/03/2024 the State is submitting the Factual cum Action Taken report dated 22/04/2024 which may be kindly taken on record.

PRAYER

It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take this Factual Cum Action Taken Report Dated 22/04/2024 on record in the interest of justice.

Place:
Date:22/04/2024

SHOEB HASAN KHAN
STANDING COUNSEL

Original Application No-77/2024 (CZ) (O.A. No 236/2024 PB) समक्ष माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल की वस्तुस्थिति रिपोर्ट –

खनि अभियंता भरतपुर द्वारा मय तकनीकी स्टाफ के दिनांक 22.01.2024 को खनन पट्टा संख्या 219/03 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्री मौहम्मद पुत्र मिहरू जाति मेव निवासी बसईमेव पोस्ट बीमा तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूह मेवात (हरियाणा) का व दिनांक 24.01.2024 को खनन पट्टा संख्या 66/03 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी हाऊस न. 949 सेक्टर 31 गुडगांव (हरियाणा) का, खनन पट्टा संख्या 67/03 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी हाऊस न. 949 सेक्टर 31 गुडगांव (हरियाणा) का व खनन पट्टा संख्या 418/02 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्री समसू पुत्र श्री सुजात निवासी छपरा तहसील पहाड़ी जिला डीग (राज0) का व खनन पट्टा संख्या 428/02 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्री साहिल पुत्र श्री सुजात निवासी छपरा तहसील पहाड़ी जिला डीग (राज0) का तथा अधीक्षण खनि अभियंता (सर्तकता) भरतपुर द्वारा खनि अभियंता भरतपुर मय तकनीकी स्टाफ के दिनांक 26.01.2024 को खनन पट्टा संख्या 822/06 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्रीमती शांति शर्मा पत्नी श्री कृष्णहरि शर्मा निवासी 56, यदुराज नगर भरतपुर (राज0) का व खनन पट्टा संख्या 425/02 क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारी श्री जब्बार पुत्र श्री इब्राहीम निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला डीग (राज0) का निकट सुजात का खोला ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला डीग (राज0) क्षेत्रों का शिकायतों के सबंध में मौका निरीक्षण किया गया।

मौका निरीक्षण उपरांत खनन पट्टाधारियों द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन कर निर्गमन किया जाने पर सातों खनन पट्टेधारियों के विरूद्ध दिनांक 22.01.2024, 24.01.2024 तथा 26.01.2024 को मौका पंचनामा बनाये गये। (प्रति संलग्न है) मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा संख्या 219/03 के पट्टाधारी द्वारा 62780 टन व खनन पट्टा संख्या 66/03 के पट्टाधारी द्वारा 50940 टन व खनन पट्टा संख्या 67/03 के पट्टाधारी द्वारा 27000 टन व खनन पट्टा संख्या 418/02 के पट्टाधारी द्वारा 40250 टन व खनन पट्टा संख्या 428/02 के पट्टाधारी द्वारा 22500 टन व खनन पट्टा संख्या 822/06 के पट्टाधारी द्वारा 6250 टन तथा खनन पट्टा संख्या 425/02 के पट्टाधारी द्वारा 60000 टन खनिज मैसनरी स्टोन का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से बाहर खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया। खनन पट्टा संख्या 219/03 के पट्टाधारी श्री मौहम्मद पुत्र श्री मिहरू जाति मेव निवासी बसईमेव पोस्ट बीमा तहसील फिरोजपुरझिरका जिला नूह मेवात (हरियाणा) व पट्टाधारी के पुत्र श्री अजीम के विरूद्ध दिनांक 22.01.2024 को पुलिस थाना पहाड़ी जिला डीग में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4,21 व आईपीसी की धारा 379 के तहत् मुकदमा संख्या 32/2024 दर्ज करवाया गया, जिसमें अनुसंधान जारी है। (एफआईआर प्रति संलग्न है)

RajKishor
6708198

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित खनन पट्टाधारियों द्वारा खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन कर निर्गमन किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत् कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.01.2024 व 27.01.2024 से जारी किये गये (प्रतियां संलग्न है)। खनि अभियंता भरतपुर द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 25.01.2024 व 27.01.2024 का जबाब पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत जबाब का परीक्षण किये जाने के उपरांत संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सातों खनन पट्टेधारियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2024 से कुल शास्ती राशि रूपये 1162.03 लाख की मांग कायम की गई एवं पट्टेधारियों को शास्ती राशि जमा कराने हेतु मांग आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक के प्रेषित की गई। विभाग द्वारा खनन पट्टा क्षेत्रों के बाहर अवैध खनन के संबंध में समय-समय पर प्रभावी रूप से चैकिंग की जाती है जिसमें चैकिंग के दौरान उक्त क्षेत्रों में अवैध खनन कार्य बंद पाया गया (निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न है)। अवैध खनन क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को दिनांक 21.04.2024 को मशीनों की सहायता से खाई खुदवा कर (ट्रेंचिग) अवरूद्ध कर दिये गये है तथा क्षेत्र में तकनीकी टीम द्वारा लगातार अवैध खनन/निर्गमन ना हो बाबत् निगरानी रखी जा रही है। खनन पट्टेधारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण तालिका में निम्नानुसार है –

क्र.सं.	पंचनामा दिनांक	खनन पट्टा सं.	अवैध खनन मात्रा (टन में)	आरोपित शास्ति (रू लाख में)	नोटिस दिनांक	मांग आदेश दिनांक
1	22.01.2024	219/03	62780	276.43	25.01.2024	22.03.2024
2	24.01.2024	66/03	50940	198.20	25.01.2024	22.03.2024
3	24.01.2024	67/03	27000	119.00	25.01.2024	22.03.2024
4	24.01.2024	418/02	40250	177.30	25.01.2024	22.03.2024
5	24.01.2024	428/02	22500	99.20	25.01.2024	22.03.2024
6	26.01.2024	822/06	6250	27.70	27.01.2024	22.03.2024
7	26.01.2024	425/02	60000	264.20	27.01.2024	22.03.2024
		कुल	02,69,720	1162.03		

संलग्न –

1. मौका पंचनामा रिपोर्ट।
2. नोटिस दिनांक 25.01.2024 एवं 27.01.2024 की प्रतियां।
3. मांग आदेश की प्रतियां।
4. मौका निरीक्षण की प्रतियां।
5. अवैध खनन की ओर जाने वाले रास्तों को अवरूद्ध किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 21.04.2024 व फोटोग्राफ की प्रतियां।

(राजेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी
खनि अभियन्ता, भरतपुर

RajKaj Ref
6708198

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

मौका रिपोर्ट / पंचनामा

आज दिनांक 26/01/2024 को समय 3:50 PM पर अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) खनि अभियन्ता, भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग, पुलिस थाना-पहाडी के निकट ग्राम- छपरा, जिला- डीग मे DMG help line no पर दर्ज शिकायत संख्या- 129 की जाँच बावत मौका देखा गया। मौके पर श्री इरशाद S/o श्री नूरु, उम्र-24, निवासी- छपरा, तह-पहाडी जिला- डीग व अन्य ग्रामीण उपस्थित मिले। मौके पर खनन पट्टा संख्या- 822/2006 का GPS से खनन पट्टे की विवरण सूची अनुसार पिलर्स स्थापित किये गये। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ व बोर्ड लगे नही पाये गये। खनन पट्टे में वृक्षारोपण किया जाना नही पाया गया। खनन पट्टे में बैंच बनी नही पाई गई व खनन कार्य अव्यवस्थित तरीके से किया जाना पाया गया। खनन पट्टे में खनन कार्य के ताजा निशानात पाये गये परन्तु मौके पर खान में मशीनरी/वाहन नही मिले व न ही खनन पट्टे पर खनन पट्टाधारी/माइन्स मैनेजर/माइन्स फोरमैन उपस्थित मिले। उक्त खनन पट्टे के पिलर्स स्थापित करने पर खनन पट्टा संख्या- 822/2006 की A-B सीमा रेखा के बाहर पट्टाधारी द्वारा उत्तर दिशा में ताजा खनन पिट साइज 20M×5M×25M मे खनिज मेसनरी स्टोन का खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया। जो कि RMMCR-2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। उक्त अवैध खनन पिट का रास्ता खनन पट्टे से होकर गुजरता है अतः RMMCR-2017 के नियम 54 व 60 के तहत निम्नानुसार जुर्मानाराशि बनती है -

अवैध खनन पिट की साइज = 20M×5M×25 = 2,500 M³

खनिज मेसनरी स्टोन की SP. gravity = 2.5

= 2,500 × 2.5 = 6,250 MT

खनिज मेसनरी स्टोन की रायल्टी = 44/-

दस गुना रायल्टी = 44×10 = 440/-

खनिज की मात्रा की दस गुना रायल्टी राशि = 6,250 × 440

= 27,50,000/-

P.T.O

अवैध खनन पिट की कम्पाउण्ड राशि = 20,000/-

कुल जुर्माना राशि रुपये = 27,70,000/-

मौका पंचनामा मौके पर बनाया जाकर पढ़ा-सुनाकर हस्ताक्षर किये गये।

नजरी नक्शा :-

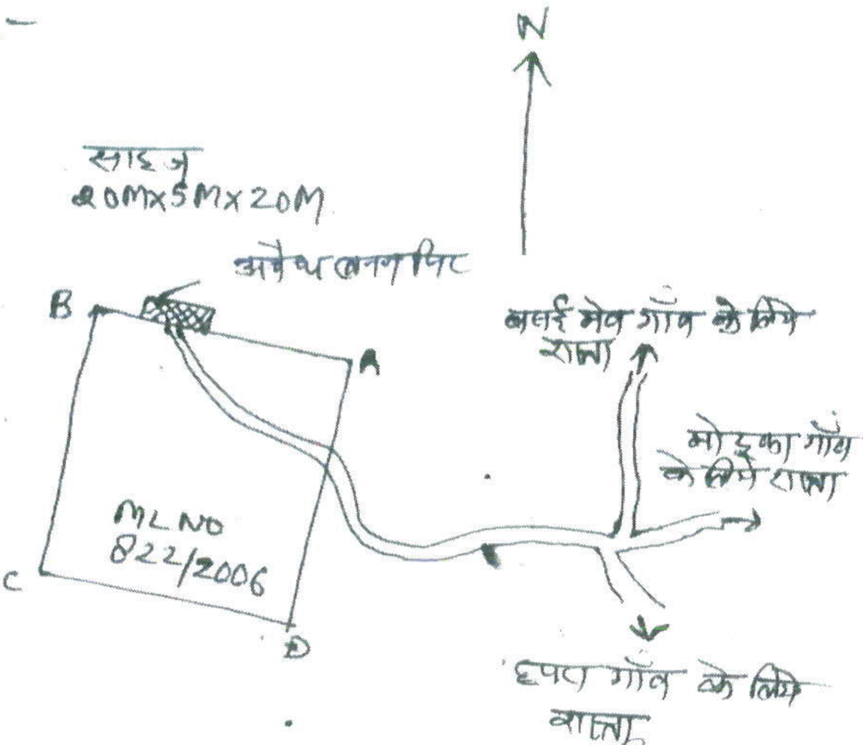

प्रेमसिंह HC 1019
(प्रेमसिंह हेड कान्स्टेबल)
(Police thana Pahari)

ME-II
(बीरेन्द्र कुमार)

MOE(V) Bharatpur
(यशवन्त डामोर)
अधीक्षण खनि अभियन्ता, सतर्कता, भरतपुर

(R.N. Mangal)
ME, Bharatpur

(6)

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/822/06/2024/3199 दिनांक - 27/01/2024

श्रीमती शान्ति शर्मा पत्नी श्री कृष्णहरि शर्मा,
निवासी 56, यदुराज नगर, भरतपुर (राज0)।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक द्वारा दिनांक 26.01.2024 को शिकायतकर्ता श्री इरशाद पुत्र श्री नूरू एवं श्री वसीर पुत्र श्री सौदान सिंह निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग (राज0) की उपस्थिति में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 822/2006 का मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में निम्न कमियां पाई गई -

1. खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये।
2. खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया।
3. खनन पट्टे में बैंच नहीं पाई पाई गई व खनन कार्य असुरक्षित तरीके से किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टे में खनन कार्य के ताजा निशानात पाये गये।
4. खनन पट्टा क्षेत्र के पिलर्स स्थापित करने पर खनन पट्टा क्षेत्र की ए-बी सीमा रेखा के बाहर आप द्वारा उत्तर दिशा में ताजा खनन पिट साईज 20 मीटर × 05 मीटर × 25 मीटर में खनिज मैसेनरी स्टोन का खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया, जो कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। उक्त अवैध खनन पिट का रास्ता खनन पट्टे से होकर जाता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन मात्रा 6,250 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 27,50,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 27,70,000 (अक्षरे रू सत्ताईस लाख सत्तर हजार) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना **जवाब/प्रतिवेदन** 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। **सो सूचित रहें।**

27/1/24

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक -खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/822/06/2024/391 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा संख्या 822/06 वास्ते खनिज मैसेनरी स्टोन क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग जो कार्यालय आदेश क्रमांक 1803 दिनांक 18.11.2010 से श्री संजय कुमार पुत्र स्व. श्री संजय कुमार पुत्र स्व. श्री यादराम आर्य निवासी कोली घाट ठण्डी सडक, चौबुर्जा, भरतपुर के पक्ष में स्थिर भाटक रू 21,000 वार्षिक पर संविदा पंजीयन तिथि 18.11.2010 से 20 वर्ष के लिए इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण होगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 15 के तहत् कार्यालय आदेशांक 913-15 दिनांक 05.09.2014 से खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्रीमती शान्ति शर्मा पत्नी श्री कृष्णहरि शर्मा निवासी 56, यदुराज नगर, भरतपुर (राज0) के पक्ष में शेष अवधि के लिए स्वीकृत किया गया, जिसका हस्तान्तरण संविदा निष्पादन दिनांक 12.02.2014 को हुआ। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों के तहत वर्तमान में खनन पट्टा स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक पर अवधि दिनांक 17.11.2060 तक प्रभावी है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान व डीएमजी हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायत के तहत् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) भरतपुर, खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक द्वारा दिनांक 26.01.2024 को खनन पट्टा सं. 822/06 क्षेत्र की जांच कर मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये, वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया, खनन पट्टे में बैंच नहीं पाई पाई गई व खनन कार्य असुरक्षित तरीके से किया जाना पाया गया तथा पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की ए-बी सीमा रेखा के बाहर उत्तर दिशा में ताजा खनन पिट साईज 20 मीटर × 05 मीटर × 25 मीटर किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा उक्त अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु श्रीमती शान्ति शर्मा पत्नी श्री कृष्णहरि शर्मा निवासी 56, यदुराज नगर, भरतपुर (राज0) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.01.2024 जारी किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारी के मुख्यात्यारनाम खास द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि "मौके पर एक-बी लाईन के बाहर उत्तर दिशा में 6250 टन का अवैध खनन कर निर्गमन होना आपने अंकित किया है, वह भी गलत व बे-बुनियाद है। उस पिट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। न ही मैंने कभी भी अवैध खनन किया है। यद्यपि मेरे खनन पट्टा में खनन कार्य अप्रैल-23 से ही बन्द है। उक्त अवैध खनन पिट क्षेत्र में तथा उससे लगे हुए क्षेत्र में हमेशा से माफिया द्वारा अवैध खनन होता रहा है जिसकी सूचना मेरे द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होकर समय-समय पर मौखिक एवं लिखित रूप से आपको दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा कभी भी कोई कार्यवाही की गयी या नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे द्वारा उक्त स्थान व अन्य किसी भी स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई खनन नहीं किया गया है" पट्टाधारी के मुख्यात्यारनाम खास द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 का परीक्षण किये जाने पर अवैध खनन के सम्बन्ध में लिखित सूचना का कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया एवं ना ही प्रस्तुत जबाब के साथ उक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में तथाकथित सूचना सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किये गये। उक्त अवैध खनन पिट खनन पट्टा क्षेत्र की ए-बी सीमा रेखा से सटता हुआ है एवं पिट में अवैध खनन के ताजा निशानात व अवैध खनन पिट भी ताजा पाया गया, जिसमें अवैध रूप से निर्गमित खनिज मैसनरी स्टोन का रास्ता खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा पट्टाधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत

जबाब में अवैध खनन/निर्गमन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब आधारहीन व सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 6,250 टन खनिज मैसनरी स्टोन का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी राशि रू 44 प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 27,50,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 27,70,000 (अक्षरे रू सत्ताईस लाख सत्तर हजार) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 392-395 दिनांक -22/03/202[redacted]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत नोटिस- श्रीमती शान्ति शर्मा पत्नी श्री कृष्णहरि शर्मा निवासी 56, यदुराज नगर, भरतपुर (राज0) को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

मौका पंचनामा

आज दिनांक 26/01/2024 को समय 4:15PM पर अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), खनि अभियन्ता, भरतपुर (म.) तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग, पुलिस थाना, पहाडी के निकट ग्राम - हुपरा, तह. पहाडी के जिला - डीग के खनन पट्टा संख्या 425/02 का GPS से खनन पट्टे की विवरण सूची अनुसार पिलर स्थापित किये गये। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र के बोर्ड व सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये। खनन पट्टे में वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया। खनन पट्टे में बेंच बनी हुई नहीं पाई गई व खननकार्य असुरक्षित तरीके से किया जाना पाया गया। खनन पट्टे में खनन के ताजा निशानात पाये गये परन्तु मौके पर खान में मशीनरी/वाहन नहीं मिले व न ही खनन पट्टे पर खनन पट्टाधारी/माइन्स मैनेजर/माइन्स फोरमैन उपस्थित मिले। उक्त खनन पट्टे पिलर्स स्थापित करने पर खनन पट्टा संख्या - 425/2002 की C-D सीमा रेखा के बाहर पश्चिम दिशा में खनन पट्टा धारी द्वारा खनन पिट की साइज 40M x 20M x 30M में खनिज मैसनरी स्टोन का खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया जो कि RMMCR-2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। उक्त अवैध खनन पिट का रास्ता खनन पट्टे से होकर गुजरता है अतः RMMCR-2017 के नियम 54 व 60 के तहत निम्नानुसार जुर्माना राशि बनती है।

अवैध खनन पिट की साइज = 40M x 20M x 30M = 24,000 M^3
खनिज मैसनरी स्टोन की SP. gr. = 2.5
= 24,000 x 2.5 = 60,000 MT
मैसनरी स्टोन की रायल्टी = 44/-
दस गुना रायल्टी राशि = 44 x 10 = 440/-
खनिज की मात्रा की दस गुना रायल्टी राशि = 2,64,00,000/-
अवैध खनन पिट की कम्पाउण्ड राशि = 20,000/-

कुल जुर्माना राशि रुपये = 2,64,20,000/-

मौका पंचनामा मौके पर बनाया व मौका पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर किये गये।

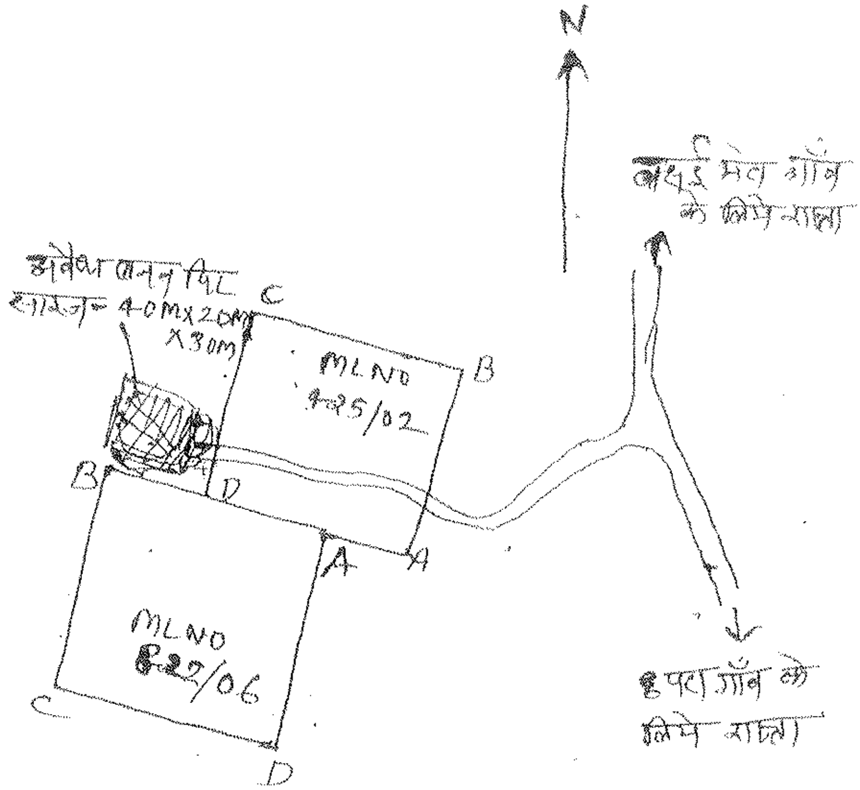

प्रेम सिंह
HC 1019
(प्रेम सिंह HC 1019)
(पुलिस थाना, पहाड़ी)

Virendra
MF II
(वीरेन्द्र कुमार)

SME(V)
Bharatpur
(यशवन्त डामोर)

(R. N. Mangal)
(ME, Bharatpur)

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/425/02/2024/ 3198 दिनांक - 27/01/2024

श्री जब्बार पुत्र श्री इब्राहिम
निवासी छपरा, तह0 पहाडी
जिला डीग (राज0)।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक द्वारा दिनांक 26.01.2024 आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 425/2002 का मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में निम्न कमियां पाई गई -

1. खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये।
2. खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया।
3. खनन पट्टे में बैंच नहीं पाई पाई गई व खनन कार्य असुरक्षित तरीके से किया जाना पाया गया तथा खनन पट्टे में खनन कार्य के ताजा निशानात पाये गये।
4. खनन पट्टा क्षेत्र के पिलर्स स्थापित करने पर खनन पट्टा क्षेत्र की सी-डी सीमा रेखा के बाहर आप द्वारा पश्चिम दिशा में ताजा खनन पिट साईज 40 मीटर × 20 मीटर × 30 मीटर में खनिज मैसेनरी स्टोन का खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया, जो कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। उक्त अवैध खनन पिट का रास्ता खनन पट्टे से होकर जाता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन मात्रा 60,000 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 2,64,00,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 2,84,00,000 (अक्षरे रू दो करोड चौरासी लाख) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना जबाब/प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहें।

27.01.2024

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक -खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/425/02/2024/386 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा संख्या 425/02 खनिज मैसनरी स्टोन क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग जो अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर के आदेश क्रमांक 525 दिनांक 09.06.2004 एवं संशोधित आदेश दिनांक 27.10.2005 से श्री जब्बार पुत्र श्री इब्राहिम निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग के पक्ष में संविदा पंजीयन तिथि 11.11.2005 से 20 वर्ष के लिये स्थिर भाटक रू 15,000 वार्षिक पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रत्येक 05 वर्ष बाद स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण होगा। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 9(2) के तहत् खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 50 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 10.11.2055 तक एवं नियम 23(2) के तहत् स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान के तहत अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), भरतपुर एवं खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक द्वारा खनन पट्टा सं. 425/02 क्षेत्र का दिनांक 26.01.2024 को मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये, वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया, खनन पट्टे में बैंच बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया व पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की सी-डी सीमा रेखा के बाहर पश्चिम दिशा में खनन पिट साईज 40 मीटर × 20 मीटर × 30 मीटर में अवैध खनन/निर्गमन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु श्री जब्बार पुत्र श्री इब्राहिम निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.01.2024 जरिये पंजीकृत डाक जारी किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में यह अंकित किया है कि "खनन पट्टा क्षेत्र सी व डी पिलर के सीमा रेखा के बाहर मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन कार्य एवं निर्गमन नहीं किया गया है। मैं अपने खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा रेखा के अन्दर ही खनन कार्य एवं निर्गमन करता चला आ रहा हूं। जो अवैध खनन सी डी रेखा के बाहर आप द्वारा अंकित किया गया है। उक्त अवैध खनन अकबर पुत्र चाहत मेव निवासी बसईमेव तह0 फिरोजपुर झिरका द्वारा पूर्व में कराया गया था। जिसका पंचनामा दिनांक 23.11.2011 को आपके कार्यालय के तत्कालीन सर्वेयर मोहन लाल अग्रवाल द्वारा पूर्व में बनाया हुआ है। उक्त अवैध खनन बाबत् कई बार एफआईआर भी करायी गई है तथा समय-समय पर उक्त अवैध खनन बाबत् आपके कार्यालय द्वारा पैनल्टी भी वसूल की गई है तथा उक्त अवैध खनन बाबत् एक पीआईएल पिटीशन संख्या 3892/2011 मेरे विरूद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा न्यायाधीश माननीय श्री के0एस0 चौधरी की अध्यक्षता में स्पेसियल इन्वेस्टीगेशन कमेटी गठित की गई तथा न्यायाधीश के.एस. चौधरी द्वारा दिनांक 02.05.2012 को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट मेरे पक्ष में पेश की गई थी। इसलिए आपके द्वारा बनाये गये पंचनामा दिनांक 26.01.2024 में जो रास्ता वर्णित किया गया है कि वह मेरे खनन पट्टे के लिए ही आता है। जिस रास्ते से मैं अपने खनिज का निर्गमन करता हूं। पंचनामा में जो अवैध खनन पिट बतलाई गई है। उसका रास्ता दीगर खनन पट्टे में होकर जाता है तथा आस-पास के अवैध खननकर्ताओं द्वारा उक्त क्षेत्र में अवैध खनन किया जाता है। मैंने उक्त अवैध खनन बाबत् कई बार मौखिक रूप से आपके कार्यालय के तकनीकी स्टाफ को सूचित भी कराया गया।" पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 का रिकॉर्डअनुसार अवलोकन करने पर पाया कि खनन पट्टा क्षेत्र में पूर्व में बनाया गया मौका पंचनामा दिनांक 23.11.2011 के लगभग 13 वर्ष बाद पट्टाधारी के विरूद्ध बनाये गये मौका

पंचनामा दिनांक 26.01.2024 की कार्यवाही मे जोडना अनुचित है तथा पट्टाधारी द्वारा अवैध खनन पिट का रास्ता दीगर खननपट्टे में होकर जाता है, गलत अंकित किया है क्योंकि उक्त अवैध खनन पिट का रास्ता पट्टाधारी के खननपट्टे में होकर गुजरता है। खनन पट्टा क्षेत्र में खनन के ताजा निशानात पाये गये एवं खनन पट्टा क्षेत्र की सी-डी सीमा रेखा के बाहर पश्चिम दिशा में पट्टाधारी द्वारा खनन पिट साईज 40 मीटर × 20 मीटर × 30 मीटर में खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया। उक्त अवैध खनन पिट खनन पट्टा क्षेत्र से सटता हुआ है व अवैध खनन कर निर्गमित किये गए खनिज चेजा पत्थर का रास्ता भी खनन पट्टे मे होकर गुजरता है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब में अवैध खनन नहीं करने संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब आधारहीन व संतोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पट्टाधारी 60,000 टन खनिज मैसनरी स्टोन का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी दर रू 44 प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 2,64,00,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 2,64,20,000 (अक्षरे रू दो करोड चौसठ लाख बीस हजार) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 387-390

दिनांक - 22/03/2024

प्रतिलिपि -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत-श्री ~~[illegible]~~ श्री इब्राहीम निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

147

M/A
MF
24/1/24

मौका पंचनामा

आज दिनांक 24/01/2024 को समय 2:15 PM पर अधोहस्ताक्षरकर्ता खनि अभियन्ता, भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग, पुलिस थाना पहाड़ी के निकट ग्राम - इन्दपुर तह - पहाड़ी, जिला- डीग में DMG help line controle NO - ● पर दर्ज शिकायत संख्या - 80 की जाँच बावत मौके पर पहुँचे। मौके पर शिकायतकर्ता श्री शकील खान S/O श्री दीन मोहम्मद ग्राम - बसई, जाति - मेव, तह - फिरोजपुर झिरका, जिला - नूंह मेवात उपस्थित मिले शिकायतकर्ता के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित मिले। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में खनन पट्टा संख्या - 66/03 व 67/03 की GPS से खनन पट्टे की विवरण सूची अनुसार दोनों खनन पट्टों को नापकर देखा गया तो खनन पट्टे के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये व न कोई लगे पाये गये। मौके पर उक्त दोनों खनन पट्टों के पिलर स्थापित करने पर खनन पट्टा संख्या - 66/2003 के बाहर सीमा रेखा C - D के बाहर 40 मीटर X 15 मीटर X 30 मीटर पिट नं - ① व पिट नं - ② में खनन पट्टा संख्या - 66/03 की B व C रेखा पर C पिलर के पास खनन पिट की साइज 22 मीटर X 12 मीटर X 9 मीटर पाई गई। खनन पट्टा संख्या - 67/2003 के C - D सीमा रेखा के बाहर खनन पिट की साइज 30M X 12M X 30M पाई गई। मौके पर उक्त दोनों खनन पट्टों की जाँच के दौरान खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द मिला व मौके पर दोनों खनन पट्टों में कोई मशीनरी / वाहन नहीं मिले एवम् न ही खनन पट्टों पर खननपट्टाधारी / प्रतिनिधि / मजदूर कोई भी नहीं मिले। उक्त दोनों खनन पट्टों में खनन के ताजा निशानात पाये गये। दोनों खनन पट्टों के बाहर पाये गये खनन पिटों की विभाग द्वारा खनन की अनुमति नहीं है। अतः उक्त खनन पिटों से किया गया खनिज मेसनरी स्टोन का खनन / निर्गमन RMMCR - 2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन / निर्गमन की श्रेणी में आता है। उक्त अवैध खनन पिटों का रास्ता खनन पट्टा संख्या - 66/2003 व 67/2003 के मध्य होकर जाता है एवम् उक्त अवैध खनन पिटों से निकाले गये खनिज को इसी रास्ते से निर्गमित किया गया है।

P.T.O.

कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार उक्त दोनों खननपट्टे श्री देव जुनेजा S/O श्री सुभाष जुनेजा, निवासी- House NO - 949 सेक्टर 31 Gurgaon के नाम पर स्वीकृत है।

मौका पंचनामा मौके पर बनाया जाकर उपस्थित को पढ़ सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

नजरी नक्शा :-

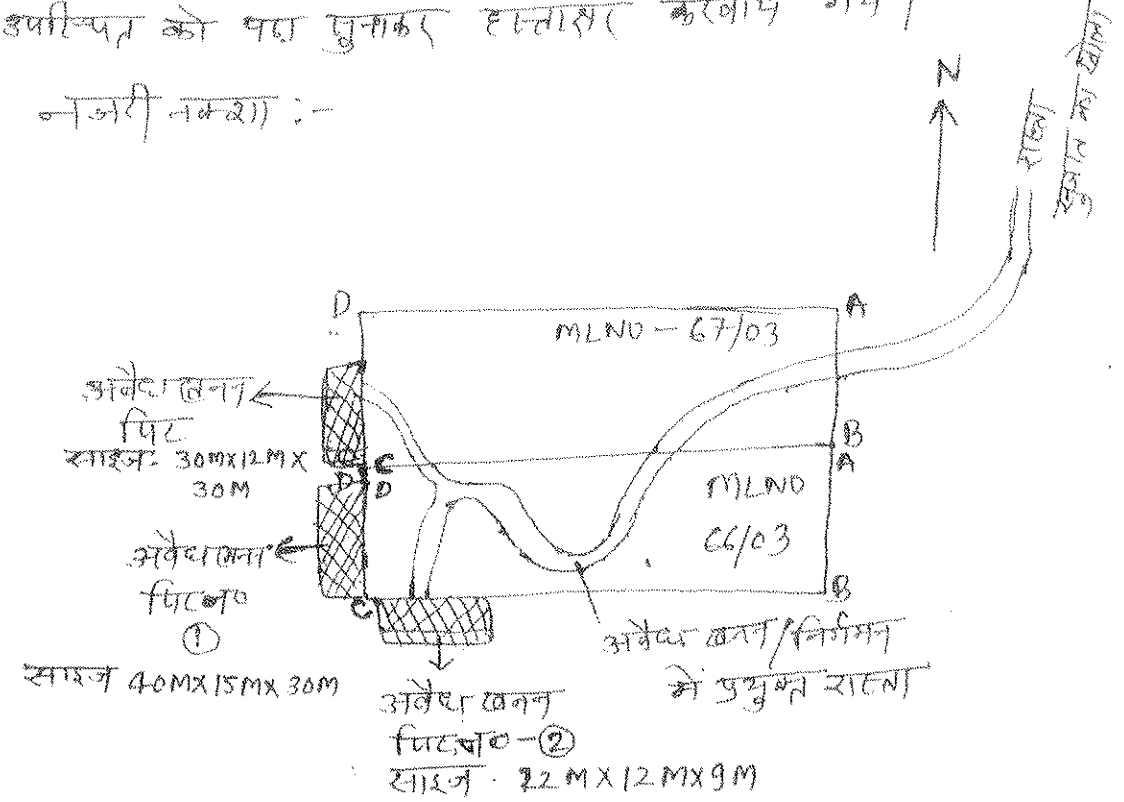

गणना रिपोर्ट :-

(वीरेन्द्र कुमार) Vir
खनि कार्यदेशक-II)
MP II

MLNO-66/03
अवैध खनन पिट नं० ① की साइज = 40MX15MX30M = 18,000M³

खनिज मैसनरी की Sp.gr. = 2.5 = 18,000X2.5 = 45,000 MT

खनिज मैसनरी स्टोन की रायल्टी की
MLNO-66/03 दस गुना राशि = 45,000X440 = 1,98,00,000/-

अवैध खनन पिट नं-② की साइज = 22MX12MX9M = 2,376M³
= 2,376X2.5 = 5,940 MT

खनिज मैसनरी स्टोन की रायल्टी की
दस गुना राशि = 5,940X440 = 26,13,600/-

अवैध खनन की कम्पाउण्ड राशि = 20,000/-

MLNO-66/03 की कुल जुर्माना राशि = 2,24,33,600/- रुपये

MLNO-67/2003

अवैध खनन पिट की साइज = 30MX12MX30M = 10,800M³
Sp.gr. = 2.5 = 10,800X2.5 = 27,000MT

खनिज मैसनरी स्टोन की रायल्टी की दस गुना जुर्माना राशि = 27,000X440 = 1,18,80000/-

अवैध खनन की कम्पाउण्ड राशि = 20,000/-

MLNO-67/03 की कुल जुर्माना राशि = 1,19,00,000/- Vir 25/01/24 MP II

ME Bhilwara
खनि अभियंता
खनिज विभाग

(16)

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/रिथा.1/अप्र/खप/66/03/2024/3182   दिनांक - 25/01/2024

श्री देव जुनैजा पुत्र श्री सुभाष जुनैजा
निवासी ए-21, मियांवाली कॉलोनी,
गुडगांव (हरियाणा)।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 66/03 क्षेत्र का दिनांक 24.01.2024 को शिकायतकर्ता श्री शकील खां पुत्र श्री दीनमौहम्मद निवासी ग्राम बसई तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) की उपस्थिति में मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये। मौके पर जीपीएस से विवरण सूची अनुसार खनन पट्टा के पिलर्स स्थापित किये गये। खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पिट नं. एक में सीमा रेखा सी-डी के बाहर 40 मीटर × 15 मीटर × 30 मीटर एवं पिट नं. दो में खनन पट्टा की बी व सी रेखा पर सी पिलर के पास 22 मीटर × 12 मीटर × 09 मीटर अवैध खनन/निर्गमन के ताजा निशानात पाये गये। खनन पिटों की जांच के दौरान खनन पिटों में खनन कार्य बन्द मिला व मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में कोई मशीनरी/प्रतिनिधि/मजदूर नहीं मिले एवं खनन पट्टों में खनन के ताजा निशानात पाये गये। दोनों खनन पिटों के बाहर पाये गये खनन पिटों में विभाग द्वारा अनुमति नहीं है। अतः उक्त दोनों खनन पिटों में किया गया खनन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन मैसनरी स्टोन कुल मात्रा 50,940 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 02,24,13,600 एवं दोनों पिटों की कम्पाउड राशि रू 20,000.0 कुल शास्ती राशि रू 2,24,33,600 (अक्षरे रूपये दो करोड चौबीस लाख तेतीस हजार छः सौ) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना जबाब/प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहें।

25/1/24
(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

30/01/2024

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक -खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/66/03/2024/376 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा संख्या 66/03 वास्ते खनिज मैसेनरी स्टोन क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग (राज0) जो अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर द्वारा आदेश क्रमांक 1716 दिनांक 28.06.2005 से श्री दीनमौहम्मद पुत्र श्री बाद खां निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग के पक्ष में स्थिर भाटक रू 15,000 वार्षिक पर संविदा पंजीयन तिथि 28.10.2005 से 20 वर्ष के लिए इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण होगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 15 के तहत् कार्यालय आदेशांक 371-74 दिनांक 04.02.2009 से खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी ए-21 मियां वाली कॉलोनी, गुडगांव तह0 एवं जिला गुडगांव (हरियाणा) के पक्ष में शेष अवधि के लिए स्वीकृत किया गया, जिसका हस्तान्तरण संविदा निष्पादन दिनांक 12.02.2009 को हुआ। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों के तहत वर्तमान में खनन पट्टा स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक पर अवधि दिनांक 27.10.2055 तक प्रभावी है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान व डीएमजी हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायत के तहत खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 24.01.2024 खनन पट्टा संख्या 66/03 क्षेत्र की जांच कर मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ, बोर्ड लगे नहीं पाये गये एवं खनन पट्टा क्षेत्र के सी-डी सीमा रेखा के बाहर पिट नं. एक में 40 मीटर × 15 मीटर × 30 मीटर एवं पिट नं. दो में खनन पट्टा की बी-सी सीमा रेखा पर सी पिलर के पास 22 मीटर × 12 मीटर × 09 मीटर की साईज के अवैध खनन पिट में अवैध खनन कर खनिज मैसनरी स्टोन का निर्गमन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा उक्त अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाव/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पट्टाधारी श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी ए-21 मियां वाली कॉलोनी, गुडगांव तह0 एवं जिला गुडगांव (हरियाणा) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.01.2024 जारी किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारी के मुख्यात्यारनाम खास द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि "खनन क्षेत्र के बाहर दो अवैध खनन पिटों में कुल 50940 टन का खनिज उत्पादन कर निर्गमन करना आप द्वारा अंकित किया गया है, वह गलत व बे-बुनियाद है। उक्त पिटों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं किया है। उक्त अवैध खनन क्षेत्र में हमेशा से माफिया किस्म के लोगों द्वारा खनन कार्य किया जाता रहा है जिसकी सूचना मेरे द्वारा आपके कार्यालय में समय-समय पर मौखिक एवं लिखित रूप से दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी या नहीं की गयी मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने अपने खनन पट्टा क्षेत्र की सीमा के बाहर कभी भी एवं किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन एवं निर्गमन नहीं किया गया है" पट्टाधारी के मुख्यात्यारनाम खास द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 का परीक्षण किये जाने पर अवैध खनन के सम्बन्ध में लिखित सूचना का कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया एवं ना ही प्रस्तुत जबाब के साथ उक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में तथाकथित सूचना सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किये गये। उक्त दोनों अवैध खनन पिट खनन पट्टा क्षेत्र की बी-सी एवं सी-डी सीमा रेखाओं से सटते हुए है तथा अवैध खनन से निर्गमित खनिज का रास्ता पट्टाधारी के खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरता है। पट्टाधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जबाब में अवैध खनन/निर्गमन नहीं

किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब आधारहीन व सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 50,940 टन खनिज मैसनरी स्टोन मात्रा का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी राशि रू 44 प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 02,24,13,600 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 2,24,33,600 (अक्षरे रूपये दो करोड चौबीस लाख तेतीस हजार छः सौ) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 377-380
दिनांक -22/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत नोटिस- श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी ए-21 मियां वाली कॉलोनी, गुडगांव तह0 एवं जिला गुडगांव (हरियाणा) को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

(19)

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/रिशा.1/अप/खप/67/03/2024/ 3186 दिनांक - 25/01/2024

श्री देव जुनैजा पुत्र श्री सुभाष जुनैजा
निवासी ए-21, मियांवाली कॉलोनी,
गुडगांव (हरियाणा)।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 67/03 क्षेत्र का दिनांक 24.01.2024 को शिकायतकर्ता श्री शकील खां पुत्र श्री दीनमौहम्मद निवासी ग्राम बसई तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) की उपस्थिति में मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये। मौके पर जीपीएस से विवरण सूची अनुसार दोनों खनन पट्टों के पिलर्स स्थापित किये गये। खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन/निर्गमन के ताजा निशानात पाये गये। खनन पट्टा की सी-डी सीमा रेखा के बाहर खनन पिट की साईज 30 मीटर × 12 मीटर × 30 मीटर कुल मात्रा 27,000 टन पाई गई। खनन पिट की जांच के दौरान खनन पिट में खनन कार्य बन्द मिला व मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में कोई मशीनरी/प्रतिनिधि/मजदूर नहीं मिले एवं खनन पट्टा में खनन के ताजा निशानात पाये गये। खनन पिट के बाहर पाये गये खनन पिट में विभाग द्वारा अनुमति नहीं है। अतः खनन पिट में किया गया खनन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन मात्रा 27,000 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 01,18,80,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 1,19,00,000 (अक्षरे रू एक करोड उन्नीस लाख) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना जबाब/प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहें।

(हस्ताक्षर) 25/1/24
(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

(हस्ताक्षर)
30.01.24

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक -खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/67/03/2024/ 381 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा संख्या 67/03 वास्ते खनिज मैसेनरी स्टोन क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग जो अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर (राज0) द्वारा आदेश क्रमांक 1736 दिनांक 28.06.2005 से श्री नूरू पुत्र श्री सुपाल निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग के पक्ष में स्थिर भाटक रू 15,000 वार्षिक पर संविदा पंजीयन तिथि 28.10.2005 से 20 वर्ष के लिए इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण होगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 15 के तहत् कार्यालय आदेशांक 376 दिनांक 04.02.2009 से खनन पट्टा का हस्तान्तरण श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी ए-21 मियां वाली कॉलोनी, गुडगांव तह0 एवं जिला गुडगांव (हरियाणा) के पक्ष में शेष अवधि के लिए स्वीकृत किया गया, जिसका हस्तान्तरण संविदा निष्पादन दिनांक 12.02.2009 को हुआ। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों के तहत वर्तमान में खनन पट्टा स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक पर अवधि दिनांक 27.10.2055 तक प्रभावी है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान व डीएमजी हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायत के तहत खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 24.01.2024 खनन पट्टा संख्या 67/03 क्षेत्र की जांच कर मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ, बोर्ड लगे नहीं पाये गये एवं खनन पट्टा क्षेत्र के सी-डी सीमा रेखा के बाहर 30 मीटर × 12 मीटर × 30 मीटर की साईज के अवैध खनन पिट में अवैध खनन कर खनिज मैसनरी स्टोन का निर्गमन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा उक्त अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.01.2024 जारी किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारी के मुख्यात्यारनाम खास द्वारा प्रस्तुत जबाव दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि "खनन क्षेत्र के बाहर एक अवैध पिट में कुल 27,000 टन का खनिज उत्पादन कर निर्गमन करना आप द्वारा अंकित किया गया है, वह गलत व बे-बुनियाद है। उक्त पिट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं किया है। उक्त अवैध खनन क्षेत्र में हमेशा से माफिया किस्म के लोगों द्वारा खनन कार्य किया जाता रहा है जिसकी सूचना मेरे द्वारा आपके कार्यालय में समय-समय पर मौखिक एवं लिखित रूप से दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी या नहीं की गयी मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने अपने खनन पट्टा क्षेत्र की सीमा रेखा के बाहर कभी भी एवं किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन एवं निर्गमन कार्य नहीं किया है" पट्टाधारी के मुख्यात्यारनाम खास द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 का परीक्षण किये जाने पर अवैध खनन के सम्बन्ध में लिखित सूचना का कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया एवं ना ही प्रस्तुत जबाब के साथ उक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में तथाकथित सूचना सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किये गये। उक्त अवैध खनन पिट खनन पट्टा क्षेत्र की सी-डी सीमा रेखा से सटता हुआ है, अवैध खनन से निर्गमित खनिज का रास्ता पट्टाधारी के खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। पट्टाधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जबाब में अवैध खनन/निर्गमन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाव आधारहीन व सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(21)

अतः राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 27,000 टन खनिज मैसनरी स्टोन का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी राशि रू 44 प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 01,18,80,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 01,19,00,000 (अक्षरे रू एक करोड उन्नीस लाख) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 382-385 दिनांक - 22/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत नोटिस- श्री देव जुनेजा पुत्र श्री सुभाष जुनेजा निवासी ए-21 मियां वाली कॉलोनी, गुडगांव तह0 एवं जिला गुडगांव (हरियाणा) को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, [illegible]
मौका [illegible]

आज दिनांक 22/[illegible]/2026 को समय [illegible] PM —
DMG Controle Room से प्राप्त शिकायत संख्या - 52 के
क्रम में खनि अभियन्ता, [illegible] [illegible] [illegible] व
पुलिस विभाग, पुलिस थाना [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]
निकट ग्राम - इपरा, तह - पहाड़ी, जिला - डीग [illegible] [illegible].
मौके पर शिकायत कर्ता श्री इरशाद [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]
निवासी - इपरा, तह - पहाड़ी जिला - डीग व श्री [illegible]
श्री सौदान सिंह उम्र 40 वर्ष, निवासी - [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]
डीग समक्ष इपरा गाँव के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
मौके पर खनन स्थल का GPS से [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]
2003 का विवरण सूची के अनुसार [illegible] [illegible] [illegible]
गये। मौके पर उक्त खनन पट्टा संख्या - 2[illegible]/03 के [illegible] [illegible],
पिलर लगे नहीं पाये गये [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] किया गया है। मौके जाँच के दौरान [illegible] [illegible] [illegible]
दो अलग-2 खनन पिटो में खनन के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
परन्तु मौके पर कोई मशीनरी/वाहन [illegible] से [illegible] नहीं [illegible]
गये व मौके पर खनन पट्टाधारी/प्रतिनिधि/[illegible] [illegible]/[illegible]
फोरमैन कोई भी उपस्थित नहीं मिले। मौके पर [illegible] से [illegible] [illegible]
संख्या - 219/03 के दक्षिण दिशा में [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]
Cordinate N27°44'20" E77°0[illegible]'2[illegible]' पर [illegible] [illegible] [illegible]
① का साइज 40M x 25m x 30M व उक्त खनन पट्टा संख्या -
219/03 के पूरब-दक्षिण दिशा में [illegible] [illegible] के [illegible] GPS
Cordinate N27°44'21" E77°0[illegible]'2[illegible]' पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-② का साइज 33M x 31M x 4M [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पिटो की खनन विभाग द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
नहीं है। अत: उक्त दोनो खनन पिट में [illegible] [illegible] [illegible]
का कार्य RMMCR - 2017 के नियम 5[illegible] व [illegible] के [illegible] [illegible]-
खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। मौके पर [illegible] [illegible]
कर्ताओ द्वारा बताया गया कि उक्त [illegible] [illegible] [illegible] के
अवैध खनन कार्य [illegible] श्री [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], निवासी - [illegible] [illegible], [illegible] - [illegible], [illegible] - [illegible] [illegible]
जिला - [illegible] मेवात व खनन [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(23)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - (1) में [illegible] [illegible]
जनता/निर्माण में प्रयुक्त [illegible] [illegible] जाता [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] - 2-10-2023 को [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] उक्त दोनों [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] एवं उसके पुत्र द्वारा [illegible] [illegible] है।

मौका [illegible] मौके पर [illegible] [illegible]
आरोपित को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गये।

नजरी नक्शा -

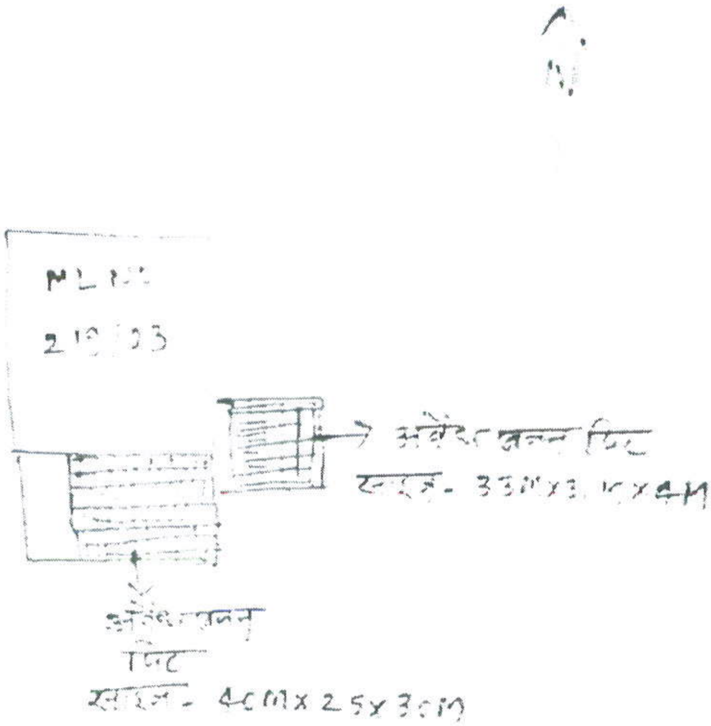

(वीरेन्द्र कुमार)
M.E

अनिल [illegible] T467
(अनिल कुमार)
(पुलिस थाना पहाड़ी)

[illegible]

1. रब्बाद S/o श्री नूरल
निवासी - छपरा, पहाड़ी
जिला - डीग
(राज०)
(हस्ताक्षर)

2. श्री [illegible] S/o श्री [illegible]
निवासी - छपरा, तह - पहाड़ी
जिला - डीग (राज०)
(हस्ताक्षर [illegible])

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/219/03/2024/3192 दिनांक - 25/01/2024

श्री मौहम्मद पुत्र श्री मिहरू जाति मेव
निवासी ग्राम बसईमेव, पोस्ट बींबा तहसील फिरोजपुर झिरका
जिला नूंह मेवात (हरियाणा)-122104।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से आपके पक्ष में प्रभावी रहे खनन पट्टा संख्या 219/03 का मौका दिनांक 22.01.2024 को श्री इरशाद पुत्र श्री नूरू एवं श्री वसीर पुत्र श्री सौदान सिंह निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग की उपस्थिति में देखा गया। मौका रिपोर्ट अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये एवं न ही वृक्षारोपण किया जाना पाया गया। मौके पर जीपीएस से विवरण सूची अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के पिलर्स स्थापित किये गये। खनन पट्टा क्षेत्र के दो अलग-अलग खनन पिटों में खनन का ताजा निशानात पाये गये, विवरण निम्नानुसार है -

1. खनन पट्टे के दक्षिण दिशा में पिट नं. एक में 40 मीटर × 25 मीटर × 30 मीटर
2. खनन पट्टे के पूर्व-दक्षिण दिशा में पिट नं. दो में 33 मीटर × 31 मीटर × 4.0 मीटर

विभाग द्वारा उक्त दोनों खनन पिटों में खनन कार्य की अनुमति नहीं दी गई है। अतः उक्त दोनों खनन पिटों में किया गया खनन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन 85,230 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 03,75,01,200 एवं दोनों पिटों की कम्पाउड राशि रू 20,000.0 कुल शास्ती राशि रू 3,75,21,200 (अक्षरे रू तीन करोड पिचहत्तर लाख इक्कीस हजार दो सौ) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना जबाब/प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहें।

25/1/24

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक -खअ/भरत/ग्शा.1/अप्र/खप/219/03/2024/ 401 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर आदेश क्रमांक 1916 दिनांक 20.07.2005 से खनन पट्टा संख्या 219/03 वास्ते खनिज मैसनरी स्टोन क्षेत्र 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा, तह0 पहाडी, जिला डीग श्री मौहम्मद पुत्र श्री मिहरू निवासी ग्राम बसईमेव पोस्ट बींवा, तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) के पक्ष में संविदा पंजीयन दिनांक 13.01.2006 से 20 वर्ष के लिए स्थिर भाटक रू 15,000 वार्षिक पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् किया जावेगा। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के तहत् खनन पट्टा की अवधि संविदा पंजीयन तिथि 13.01.2006 से 50 वर्ष तक एवं स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक निर्धारित किया गया। श्री मौहम्मद द्वारा कार्यालय नोटिस दिनांक 30.06.2023 में वर्णित अवैध खनन/निर्गमन की शास्ती राशि रू 30,89,000 जमा नहीं कराने के दोष पर अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2024 से राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(xvii) के तहत् खनन पट्टे को प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खण्डित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान व डीएमजी हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायत के तहत् खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से खनन पट्टा सं. 219/03 का दिनांक 22.01.2024 को मौका जांच कर पंचनामा बनाया गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ, साइन बोर्ड लगे नहीं पाये गये एवं न ही वृक्षारोपण किया जाना पाया गया। पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के दक्षिण दिशा में पिट नं. एक में 40 मीटर × 25 मीटर × 30 मीटर एवं खनन पट्टे क्षेत्र के पूर्व-दक्षिण दिशा में पिट नं. दो में 33 मीटर × 31 मीटर × 4.0 मीटर में अवैध खनन/निर्गमन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा उक्त अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु श्री मौहम्मद पुत्र श्री मिहरू निवासी ग्राम बसईमेव पोस्ट बींवा, तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) को नोटिस दिनांक 25.01.2024 जारी किया गया, जिसके क्रम में श्री मौहम्मद द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में अंकित किया है कि "उक्त अवैध खनन से मेरा व मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई वास्ता नहीं है तथा अवैध खनन पिट का रास्ता मेरे खनन पट्टा क्षेत्र में होकर नहीं गुजरता है। मेरे खनन पट्टा क्षेत्र में काफी लम्बे समय से खनन कार्य बन्द है। मुझे आपके कार्यालय की तरफ से पहले भी एक नोटिस दिया गया था तथा मेरे खनन पट्टे को खण्डित कर दिया गया है। उक्त खनन पट्टे का कब्जा भी आपके पास है। जिस बाबत् एक अपील मैने न्यायालय उपशासन सचिव, खान विभाग, जयपुर के समक्ष दायर की हुई है तथा आप द्वारा वर्तमान में मेरे उपर आरोपित की गई पेनल्टी राशि 3,75,21,200 रूपये गलत तरीके से आरोपित की गई है जिससे मेरा कोई लेनादेना नहीं है।" श्री मौहम्मद द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन/परीक्षण करने पर पाया गया कि पिट नं. 01 में अवैध खनन/निर्गमन में प्रयुक्त होने वाला रास्ता खनन पट्टा संख्या 219/03 के पूर्व दिशा में सटता हुआ जा रहा है एवं उक्त दोनों अवैध खनन पिट खनन पट्टा क्षेत्र से सटते हुए हैं, खनन पिटों में खनन के ताजा निशांनात पाये गये। जिससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध खनन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब में अवैध खनन नहीं करने संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब आधारहीन व संतोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् 85,230 टन खनिज मैसनरी स्टोन का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी राशि रूपये 44 प्रतिटन की दर से 10 गुना शास्ति राशि रूपये 03,75,01,200 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000.0 कुल शास्ती राशि रू 3,75,21,200 (अक्षरे रू तीन करोड पिचहत्तर लाख इक्कीस हजार दो सौ) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)

खनि अभियन्ता, भरतपर

(26)

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 402 - 405 दिनांक - 22/03/2024

प्रतिलिपि -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत नोटिस- **श्री मौहम्मद पुत्र श्री मिहरू निवासी ग्राम बसईमेव पोस्ट बींवा, तह0** फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

(151)

मौका पर्चानामा

आज दिनांक 24/01/2024 को समय 2:40 PM पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, खनि अभियन्ता, भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक पुलिस विभाग, पुलिस थाना पहाड़ी के निकट ग्राम - [illegible], तह - पहाड़ी, जिला - डीग में DMG, Help line NO पर दर्ज शिकायत संख्या - 80 की जाँच बाबत मौके पर पहुँचे। मौके पर शिकायतकर्ता श्री शकील खान S/O श्री दीन मोहम्मद, ग्राम - [illegible], तह - फिरोजपुर झिरका, जिला - नूंह मेवात उपस्थित मिले (शिकायतकर्ता के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित मिले) शिकायतकर्ता की उपस्थिति में खनन पट्टा संख्या - 418/02 की GPS से खनन पट्टा की विवरण सूची अनुसार पिलर्स स्थापित किये गये। मौके पर खनन पट्टे के कोई व पिलर लगे नहीं पाये गये। मौके पर खनन पट्टे में खनन के ताजा निशानात पाये गये परन्तु मौके पर खनन पट्टाधारी / प्रतिनिधि / मजदूर कोई भी खनन पट्टे में खनन कार्य करते नहीं पाये गये। खनन पट्टे की जाँच के दौरान कोई मशीनरी / वाहन द्वारा खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया। खनन पट्टे में बेन्च बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया। खनन पट्टे के पिलर स्थापित करने पर F - G सीमा रेखा के बाहर G पिलर के निकट अवैध खनन पिट जिसमें खनन के ताजा निशानात पाये गये का मापन किया गया तो अवैध खनन पिट का साइज 25 मीटर X 23 मीटर X 28 मीटर पाया गया। उक्त खनन पट्टे के बाहर पाया गया खनन कार्य RMMCR - 2017 के नियम - 54 व 60 के तहत अवैध खनन / निर्गमन की श्रेणी में आता है।

उक्त खनन पट्टा संख्या के G पिलर से पट्टाधारी द्वारा किये गये अवैध खनन / निर्गमन में प्रयुक्त होने वाला रास्ता खनन पट्टा से होकर गुजरता है। उक्त खनन पट्टा विभाग द्वारा श्री [illegible] S/O श्री [illegible] के पक्ष में स्वीकृत है।

मौका पर्चानामा तैयार किया जाकर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर किये गये।

P.T.O

नजरी नक्शा :-

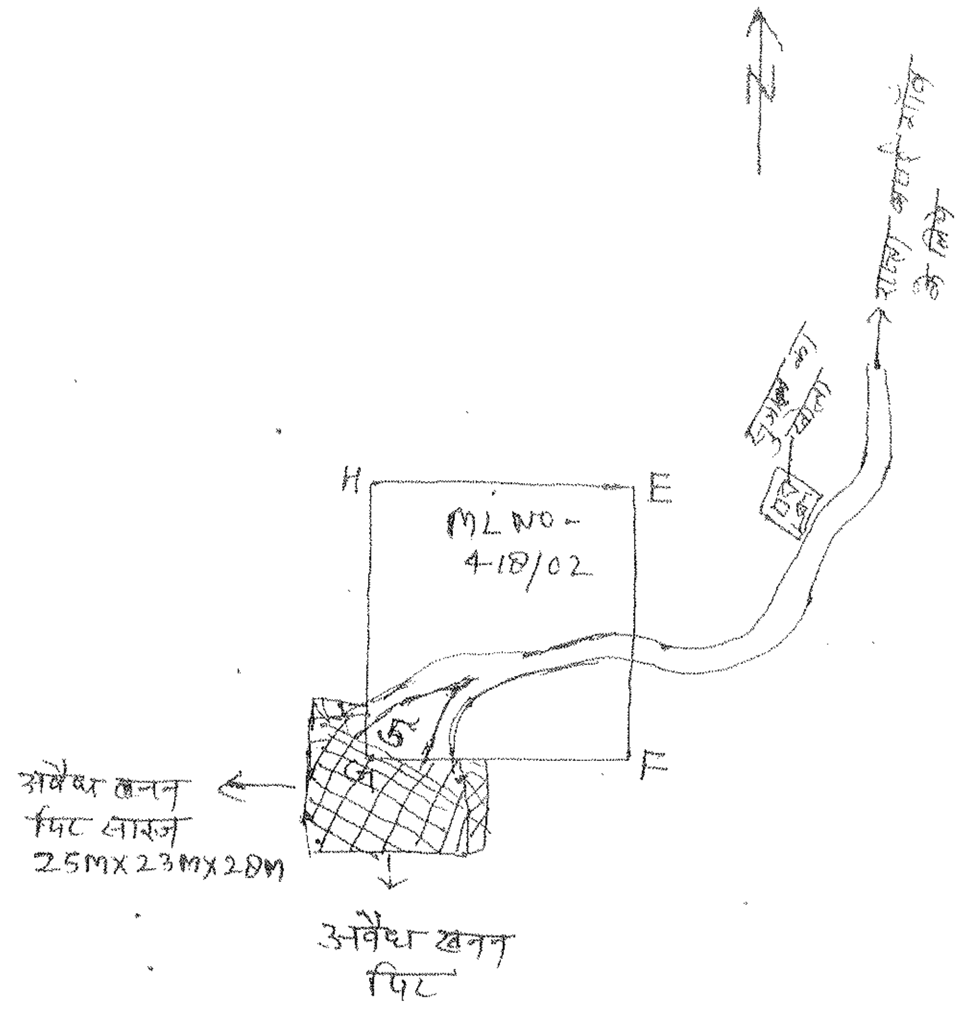

Vire...
वीरेन्द्र कुमार MF II
(खनि कार्यदेशक-II)

मौका रिपोर्ट :-

अवैध खनन पिट की साइज = 25MX23MX20M
= 16,100 M^3
खनिज मैसनरी स्टोन की SP.Gr. = 2.5
= 16,100 × 2.5
= 40,250/- MT
मैसनरी स्टोन की रायल्टी = 44/-
खनिज मैसनरी स्टोन की मात्रा दस गुना रायल्टी / राशि = 40,250×440
= 1,77,10,000/-
अवैध खनन पिट की कम्पाउंड = 20,000/-
कुल जुर्माना राशि = 1,77,30,000/- रुपये

Vire...
25/01/24
MF II

ME BL...
खनि अभियंता
भरतपुर

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/418/02/2024/3190 दिनांक - 25/01/2024

श्री समसू पुत्र श्री सुजात,
निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक द्वारा दिनांक 24.01.2024 को शिकायतकर्ता श्री शकील खां पुत्र श्री दीनमौहम्मद निवासी ग्राम बसई तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) की उपस्थिति में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 418/2002 का मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये। मौके पर खनन पट्टे में खनन के ताजा निशानात पाये गये परन्तु खनन पट्टे में बेन्च बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में कोई मशीनरी/प्रतिनिधि/मजदूर नहीं मिला। खनन पट्टा के पिलर स्थापित करने पर एफ-जी सीमा रेखा के बाहर जी पिलर के निकट अवैध खनन पिट की साईज 25 मीटर × 23 मीटर × 28 मीटर कुल मात्रा 40,250 टन पाया गया। अतः खनन पट्टा के बाहर किया गया खनन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन मात्रा 40,250 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 01,77,10,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 1,97,10,000 (अक्षरे रू एक करोड सत्तानवे लाख दस हजार) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना **जबाब/प्रतिवेदन** 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहें।

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक- खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/418/02/2024/396 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा संख्या 418/02 खनिज मैसनरी स्टोन क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग जो अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर के आदेश क्रमांक 1634 दिनांक 21.06.2005 से श्री शिशुपाल शर्मा पुत्र श्री रेवतीलाल शर्मा निवासी पहाडी जिला डीग के पक्ष में संविदा पंजीयन तिथि 07.01.2006 से 20 वर्ष के लिये स्थिर भाटक रू 15,000 वार्षिक पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रत्येक 05 वर्ष बाद स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण होगा। इसके पश्चात् कार्यालय आदेशांक 3172 दिनांक 25.05.2011 से इस खनन पट्टा का हस्तान्तरण संविदा निष्पादन तिथि से शेष अवधि के लिए श्री समसू पुत्र श्री सुजात निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खनन पट्टा हस्तान्तरण संविदा निष्पादन दिनांक 08.06.2011 को किया जाकर संविदा पंजीयन दिनांक 13.06.2011 को हुआ। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 9(2) के तहत् खनन पट्टे की अवधि मूल संविदा पंजीयन तिथि से 50 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 06.01.2056 तक एवं नियम 23(2) के तहत् स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान व डीएमजी हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायत के तहत खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 24.01.2024 को खनन पट्टा संख्या 418/02 की मौका जांच कर मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ, बोर्ड लगे नहीं पाये गये, खनन पट्टे में बैंच बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया तथा पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की एफ-जी सीमा रेखा के बाहर जी पिलर के निकट अवैध खनन पिट साईज 25 मीटर × 23 मीटर × 28 मीटर में ताजा अवैध खनन कर निर्गमन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा उक्त अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पट्टाधारी श्री समसू पुत्र श्री सुजात निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.01.2024 जरिये पंजीकृत डाक जारी किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि "खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास पुराने पिटों का साईज आदि कितने पुराने प्रतीत होते हैं, का कोई विवरण नहीं है।" पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 का परीक्षण करने पर पाया गया कि खनन पट्टा क्षेत्र की एफ-जी सीमा रेखा के बाहर जी पिलर के निकट अवैध खनन पिट जिसमें खनन के ताजा निशानात पाये गये तथा यह अवैध खनन पिट खनन पट्टा क्षेत्र की एच-जी, जी-एफ सीमा रेखा से सटता हुआ है तथा अवैध रूप से निर्गमित खनिज का रास्ता खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरता है। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब में अवैध खनन/निर्गमन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत जबाब आधारहीन व सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 40,250 टन खनिज मैसनरी स्टोन का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी दर रू 44 प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 01,77,10,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 01,77,30,000 (अक्षरे रू एक करोड सत्तहत्तर लाख तीस हजार) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 397-400 दिनांक - 22/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत नोटिस- श्री समसू पुत्र श्री सुजात निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

राजस्थान सरकार

(150)

कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

मौका पंचनामा

[illegible] 24/1/24

आज दिनांक 24/01/2024 को समय 3:50PM पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, खनि अभियन्ता, भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक पुलिस विभाग, पुलिस थाना पहाडी के निकट ग्राम- डूपरा, तह- पहाडी, जिला- डीग में DMG help line NO पर दर्ज शिकायत संख्या- 80 की जाँच बाबत मौके पर पहुँचे। मौके पर शिकायत कर्ता श्री शकील खान S/O श्री दीन मोहम्मद, ग्राम - बसई, जाति- मेव, तह- फिरोजपुर झिरका जिला- नूँह मेवात उपस्थित मिला, शिकायत कर्ता के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित मिले। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में खनन पट्टा संख्या- 428/2002 की GPS से खनन पट्टा की विवरण सूची पिलर्स स्थापित किये। मौके पर खनन पट्टे के बोर्ड व पिलर लगे नहीं पाये गये। मौके पर खनन पट्टे में खनन के ताजा निशानात पाये गये। मौके पर उक्त खनन पट्टे में एक स्टोन क्रेशर लगा हुआ है। जिसका नाम मैसर्स इंडियन स्टोन क्रेशर के नाम से रजिस्टर्ड है। क्रेशर परिसर में मशीनरी/वाहन/मजदूर उपस्थित मिले। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में जहाँ पर ताजा खनन पिट मिला वहाँ पर कोई मशीनरी/वाहन नहीं मिले एवम् न ही मौके पर खनन पट्टाधारी मिला। खनन पट्टे में खनन पट्टाधारी द्वारा बैंच बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया। मौके पर उक्त खनन पट्टे के पिलर्स स्थापित करने पर खनन पट्टे के C - D रेखा (सीमा रेखा) पर ताजा अवैध खनन पिट की साइज 25मीटर X 12मीटर X 30मीटर पाई गई जिसकी विभाग द्वारा खनन की अनुमति नहीं है उक्त अवैध खनन पिट का रास्ता खनन पट्टे से होकर गुजरता है। उक्त खनन पट्टा विभाग द्वारा श्री साहिल S/O श्री सुजात निवासी- डूपरा, तह- पहाडी जिला- भरतपुर के पक्ष में स्वीकृत है।

मौका पंचनामा मौके पर बनाया जाकर पढ़- सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

P.T.O-

नजरी नक्शा :-

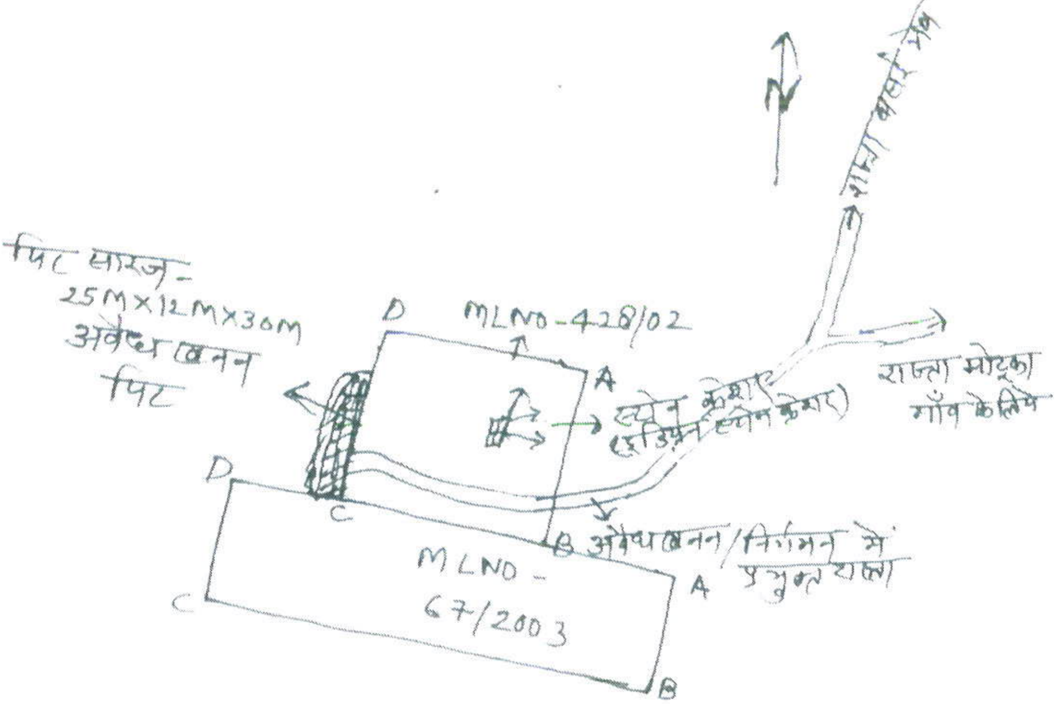

Vinod Kumar
MF II
(वीरेन्द्र कुमार)
खनि कार्यदेशक-II
कार्यालय खनि अभियन्ता, भरतपुर

ME Bharatpur
सामग्रि मांग मेंगाई
खनि अभियन्ता भरतपुर

गणना रिपोर्ट :-

अवैध खनन पिट की साइज = 25M×12M×30M = 9,000M³

मैसनरी स्टोन की Sp. gravity = 2.5 = 9,000 × 2.5
= 22,500 MT

खनिज मैसनरी स्टोन की रायल्टी की दस गुना जुर्माना राशि = 22,500 × 440
= 99,000,00/-

अवैध खनन की कम्पाउण्ड राशि = 20,000/-

कुल जुर्माना राशि = 99,20,000/-

Vinod Kumar
25/9/24
MF II
(वीरेन्द्र कुमार)
खनि कार्यदेशक-II
कार्यालय खनि अभियन्ता
भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर

क्रमांक -खअ/भरत/रिशा.1/अप्र/खप/428/02/2024/ 406 दिनांक - 22/03/2024

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा संख्या 428/02 खनिज मैसनरी स्टोन क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर निकट ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग जो अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर के आदेश क्रमांक 905 दिनांक 19.08.2003 से श्री साहिल पुत्र श्री सुजात निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग के पक्ष में संविदा पंजीयन तिथि 11.02.2004 से 20 वर्ष के लिये स्थिर भाटक रू 5,000 वार्षिक पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रत्येक 05 वर्ष बाद स्थिर भाटक का पुनः निर्धारण होगा। राज0 अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 9(2) के तहत् खनन पट्टे की अवधि संविदा पंजीयन तिथि से 50 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 10.02.2054 तक एवं नियम 23(2) के तहत् स्थिर भाटक रू 40,000 वार्षिक निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के रोकथाम हेतु संचालित किये गये अभियान व डीएमजी हैल्पलाईन पर दर्ज शिकायत के तहत खनि अभियन्ता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक, पुलिस विभाग पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 24.01.2024 को खनन पट्टा संख्या 428/02 की मौका जांच कर मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ, बोर्ड लगे नहीं पाये गये, खनन पट्टे में बैंच बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया तथा पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की सी-डी सीमा रेखा के बाहर ताजा अवैध खनन पिट साईज 25 मीटर × 12 मीटर × 30 मीटर में अवैध खनन कर खनिज मैसनरी स्टोन का निर्गमन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा उक्त अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में जबाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पट्टाधारी श्री साहिल पुत्र श्री सुजात निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.01.2024 जरिये पंजीकृत डाक से जारी किया गया, जिसके क्रम में पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 में अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया कि "खनन पट्टा के सी-डी रेखा (सीमा रेखा) पर स्टेट लाइन पर नजरी नक्शा में अवैध खनन होना बताया है कोई भी खनन स्टेट लाइन में होना सम्भव है क्या विचार करें एवं खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास पुराने पिटों का साईज आदि कितने पुराने प्रतीत होते हैं, का कोई विवरण नहीं है।" पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.02.2024 का परीक्षण करने पर पाया गया कि अवैध खनन पिट से खनिज मैसनरी स्टोन के अवैध निर्गमन में प्रयुक्त रास्ता खनन पट्टा क्षेत्र से होकर गुजरता है, खनन पट्टा क्षेत्र की सी-डी सीमा रेखा पर ताजा अवैध खनन पिट साईज 25 मीटर × 12 मीटर × 30 मीटर, खनन पट्टा क्षेत्र से सटा हुआ है तथा सी-डी सीमा रेखा पर नजरिया नक्शा दर्शाया गया है, जो कि स्टेट लाईन नहीं है। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब में अवैध खनन/निर्गमन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त अवैध खनन पिट से अवैध खनन/निर्गमन कार्य पट्टाधारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत जबाब आधारहीन व सन्तोषजनक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा किया गया अवैध खनन/निर्गमन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों एवं संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 के तहत् स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 22,500 टन खनिज मैसनरी स्टोन का अनाधिकृत खनन/निर्गमन किये जाने पर प्रभावी रॉयल्टी दर रू 44 प्रति टन की दर से 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 99,00,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 99,20,000 (अक्षरे रू निन्यानवे लाख बीस हजार) की एतद् द्वारा मांग कायम की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

क्रमांक-समसंख्यक/2024/ 407 — 410 दिनांक 22/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मांग लिपिक, कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उक्त मांग राशि का इन्द्राज ऑनलाईन डिमान्ड रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अवैध खनन शाखा।
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा।
4. पंजीकृत नोटिस- श्री साहिल पुत्र श्री सुजात निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला डीग को भेजकर लेख है कि उक्त राशि 15 दिवस में कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उक्त राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

खनि अभियन्ता, भरतपुर

जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर(राज0)

क्रमांक-खअ/भरत/तिआ.1/अप्र/खप/428/02/2024/3191 दिनांक - 25/01/2024

श्री माहिल पुत्र श्री मुजाल,
निवासी ग्राम छपरा तह0 पहाडी जिला डीग।

कारण बताओ नोटिस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक द्वारा संयुक्त रूप से आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 428/02 क्षेत्र का दिनांक 24.01.2024 को शिकायतकर्ता श्री शकील खां पुत्र श्री दीनमौहम्मद निवासी ग्राम बसई तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा) की उपस्थिति में मौका पंचनामा गया। मौका पंचनामा अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ लगे नहीं पाये गये। मौके पर खनन पट्टे में खनन के ताजा निशानात पाये गये एवं खनन पट्टे में एक स्टोन क्रेशर लगा पाया गया, जो मैसर्स इन्डियन स्टोन क्रेशर के नाम से रजिस्टर्ड है। खनन पट्टा क्षेत्र में जहां ताजा खनन पिट मिला वहां मौके पर कोई मशीनरी/वाहन नहीं मिले एवं न ही खनन पट्टाधारी मिला। खनन पट्टे में पट्टाधारी द्वारा बेन्च बनाकर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया परन्तु मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में खनन पट्टा के पिलर स्थापित करने पर खनन पट्टा के सी-डी सीमा रेखा पर ताजा अवैध खनन पिट की साईज 25 मीटर × 12 मीटर × 30 मीटर कुल मात्रा 22,500 टन पाया गया। अतः खनन पट्टा के बाहर किया गया खनन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54 एवं 60 के अनुसार अवैध खनन/निर्गमन की श्रेणी में आता है। अवैध रूप से निर्गमित किये गये खनिज मैसनरी स्टोन मात्रा 22,500 टन की 10 गुना रॉयल्टी राशि रू 99,00,000 एवं कम्पाउड राशि रू 20,000 कुल शास्ती राशि रू 1,09,00,000 (अक्षरे रू एक करोड नौ लाख) आपसे वसूली योग्य है।

अतः इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपना जबाब/प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सो सूचित रहें।

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, भरतपुर

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी.
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-1)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

District (जिला): डीग   P.S. (थाना): पहाड़ी   Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सु.रि.सं): 0032   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/01/2024 19:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017	54
2	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017	60
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
5	भा द सं 1860	379

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): सोमवार   Date From (दिनांक से): 22/01/2024   Date To (दिनांक तक): 22/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/01/2024   Time (समय): 19:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 043   Date & Time (दिनांक एवं समय): 22/01/2024 19:28:00 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पश्चिम, 6 किमी   Beat No. (बीट सं.): [illegible]

(b) Address (पता): chapra

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District (State) (जिला (राज्य)):

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): virendra kumar

(b) Father's Name (पिता का नाम): kedarnath verma

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1986 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	umari, मोहम्मदपुर खाला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	umari, मोहम्मदपुर खाला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-7976746256

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	mohammad		पिता:miharu	1. basi,फिरोजपुर झिरका,मेवात, हरियाणा,भारत
2	ajeem		पिता:mohammad	1. basai,फिरोजपुर झिरका,मेवात, हरियाणा,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

...alue of property stolen(in Rs/-)
...संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

...Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number
(क्र.सं.) (यू.आई.डी.बी. संख्या)

...First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना पहाडी तह0 पहाडी, जिला डीग राज0 विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत। आज दिनांक 22.01.2024 को समय 2.15 पीएम पर DMG Controle Room मे प्राप्त शिकायत संख्या - 52 के क्रम में खनि अभियन्ता, भरतपुर मय तकनीकी कार्मिक व पुलिस विभाग, पुलिस थाना पहाडी के साथ संयुक्त रूप मे निकट ग्राम - छपरा, तह-पहाडी, जिला - डीग मौके पर पहुँचे मौके पर शिकायत कर्ता श्री इरशाद पुत्र श्री नूरु, उम्र-24 वर्ष निवासी - छपरा, तह - पहाडी जिला - डीग व श्री बसीर पुत्र श्री सौदान सिंह उम्र 40 वर्ष, निवासी - छपरा, तह- पहाडी, जिला- डीग एवम् छपरा गाँव के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई। मौके पर खनन स्थल का GPS से खनन पटटा संख्या- 219/ 2003 का विवरण सूची के अनुसार पिलर्स स्थापित किये गये। मौके पर उक्त खनन पटटा संख्या - 219/03 के बोर्ड व पिलर लगे नहीं पाये गये एवम न ही उक्त खनन पटटे में वृक्षारोपण किया गया है। मौके पर जाँच के दौरान खनन स्थल पर दो अलग- २ खनन पिटों में खनन के ताजा निशानात पाये गये परन्तु मौके पर कोई मषनरी / वाहन खनन में लिप्त नहीं पाये व मौके पर खनन पटटाधारी / प्रतिनिधि /माइन्स मैनेजर/ माइन्स फोरमैन कोई भी उपस्थित नही मिले। मौके पर जाँच में खनन पटटा संख्या-219/03 के दक्षिण दिशा में सीमा रेखा के बाहर GPS Cordinate N 27 .44.20 E77.0124 पर ताजा खनन पिट NO-1 का साइज 40mX25m X30m व उक्त खनन पटटा संख्या- 219/03 के पूरब-दक्षिण दिशा में सीमा रेखा के बाहर GPS Cordinate N27.4421 E77.01.27 पर ताजा अवैध खनन् की पिट न०-2 का साइज 33Mx 31Mx4M पाये गये। उक्त दोनों खनन पिटों की खनन विभाग द्वारा वर्तमान में खनन की अनुमति नहीं है। अतः उक्त दोनों खनन पिटों में किया खनन / निर्गमन का कार्य RMMCR-2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन/ निर्गमन की श्रेणी में आता है। मौके पर उपस्थित शिकायत कर्ताओं द्वारा बताया गया कि उक्त अवैध खनन पिटों में अवैध खनन कार्य पटटाधारी श्री मोहम्मद पुत्र श्री मिहरु, जाति- मेव निवासी- वसई मेव पोस्ट- बीमा, तह- फिरोजपुर झिरका जिला - नूंह मेवात व खनन पटटाधारी के पुत्र श्री अजीम कि मिलीभगत कर किया जा रहा है। पिट नं0 1 में अवैध खनिज का खनन/निर्गमन में प्रयुक्त होने वाला रास्ता खनन पटटा सं0 219/03 के पूर्व दिषा में सटता हुआ जा रहा है। अतः उक्त दोनो खनन पिटों में अवैध खनन कार्य खनन पटटाधारी एंव उसके पुत्र श्री अजीम द्वारा किया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त खनन पटटाधारी एंव उसके पुत्र श्री अजीम के विरूद्व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54,60 एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4,21 व राजस्व सम्पति की चोरी आईपीसी की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवष्यक कानूनी कार्यवाही कराने का श्रम करावें। संलग्नः- मौका पंचनामा प्रार्थी वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा जाति कुर्मी उम्र 38 साल निवासी उमरी थाना मौहम्मदपुर खाला जिला बाराबंकी उ0प्र0 हाल खनि0 कार्यदेषक द्वितीय कार्यालय खनि0 अभियंता भरतपुर मो0न0 7976746256 -- कार्यवाही पुलिस -- पृष्ठांकित टाइपषुदा रिपोर्ट वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री केदारनाथ वर्मा जाति कुर्मी उम्र 38 साल निवासी उमरी पुलिस थाना मौहम्मदपुर खाला जिला बाराबंकी उ0प्र0 हाल खनिज कार्यदेषक द्वितीय खनिज विभाग भरतपुर ने मौका पंचनामा के उपस्थित थाना होकर पेष की जिसकी नकल कम्प्यूटर में अक्षर बः की जाकर पढकर सनाई सुन समझ अपने हस्ताक्षर किये , मजमून रिपोर्ट से मामला धारा 54,60 आरएमएमसीआर , 4/21 एमएमडीआर एक्ट व 379 आईपीसी का घटित होना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज कर तफतीष गोपाल सिंह एएसआई के जिम्मे की गई प्रतियां एफआईआर नियमानुसार जारी की सीसीटीएनएस में पृविष्टी पर प्रकरण सं0 पृथक से अंकित की जावेगी।

Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Gopal Singh Rank (पद): सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): 848 to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Devendra Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/01/2024 19:33:09

Name(नाम): Devendra

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 15/03/2024 को श्रीमान खनि अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में निकट ग्राम छापरा के स्थित सुजान का खेड़ा के पूर्व में बनाये गये अवैध खनन / निर्गमन के सम्बंध में पंचनामा बनाकर नियमानुसार कार्यवाही कर कुल सात खनन पट्टों को बंद करवाया गया। जिसके क्रम में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौके पर पहुँचे / मौके पर दिये गये निर्देश की पालना में उक्त सात खनन पट्टों के अन्तर्गत खनन कार्य बंद मिला। तथा मौके पर उक्त खनन पट्टों के अन्तर्गत कोई वाहन / मशीनरी / औजार का नहीं होना पाया गया। तथा मौके पर उक्त खनन पट्टों के अन्तर्गत कोई खनन का ताजा निशानात नहीं मिले। मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

MF II

खनि कार्यदेशक-II

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 27.3.24 को श्रीमान खनि अभियन्ता के निर्देशों की पालना मे निकट ग्राम छऊसरा के स्थित सुजात खेड़ा मे स्वीकृत खनन पट्टो के अन्तर्गत अवैध खनन/निर्गमन की चैकिंग हेतु मौके पर पहुंचे। मौके पर विभाग द्वारा पूर्व मे सात खनन पट्टो के विरुद्ध अवैध खनन/निर्गमन नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त खनन पट्टो को बंद किया जा चुका। जिनको निम्नहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा उक्त सभी खनन पट्टो का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत खनन कार्य बंद होना पाया गया तथा मौके स्थिति के अनुसार उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत कोई मशीनरी/औजार/वाहन का नहीं होना पाया। तथा मौके पर उपस्थित स्थानीय ग्रामीणो को हिदायत दि गयी उक्त सातो खनन पट्टो के अन्तर्गत कोई अवैध खनन/निर्गमन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कि जावेगी। सो सूचित रहे।

[illegible] [illegible]

[illegible]

ह० स्थानीय ग्रामवाला
हस्ताक्षर

[illegible]
खनि कार्यदेशक II

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता [illegible]

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक [illegible]/14 को निकट ग्राम [illegible] के निवासी [illegible] द्वारा लौह खनन पट्टों का मौका देखा गया। मौके पर विभाग द्वारा पूर्व में उक्त सात खनन पट्टों के विरुद्ध अवैध खनन के सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त खनन पट्टों को नियमानुसार कार्यवाही कर [illegible] किया गया। जिसकी संबंधित विभाग के [illegible] कर्मचारी द्वारा भी [illegible] ताकि उक्त खनन पट्टों में अवैध खनन [illegible] नहीं किया जावे। तथा समय-समय पर श्रीमान खनि अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देशों की पालनार्थ उक्त खनन पट्टों के [illegible] मौका देखा जाता है ताकि उक्त खनन पट्टों में अन्तर्गत अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार कर स्थानीय ग्रामीणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर श्रीमान जी के समक्ष पेश है।

[illegible]

[illegible]

[illegible] कनिष्ठ अभियंता [illegible]

[illegible] कार्यदेशक [illegible]

राजस्थान - सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता - भरतपुर

<u>मौका रिपोर्ट</u>

आज दिनांक 10/04/2024 को श्रीमान खनि अभियन्ता द्वारा दिये गये निर्देश की पालना मे निकट [illegible] के स्थित सुजान खोड़ा के विभाग द्वारा संचालित खनन पट्टो जो विभाग द्वारा पूर्व मे सात खनन पट्टो मे अवैध खनन निर्गमन के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त खनन पट्टो के खनन बंद कर रखे थे जिसकी मौके स्थिति की जांच निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय 2 पर उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत अवैध खनन निर्गमन नहीं हो के संबंध मे चैकिंग की जाती है। मौके पर उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत कोई खनन कार्य चालु नहीं होना पाया तथा मौके पर उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत खनन के ताजा निशान नहीं मिले और नाही उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत मशीनरी/औजार/वाहन खड़ा नहीं होना पाया। तथा मौके पर स्थानीय [illegible] ग्रामवासियो को हिदायत दि गयी कोई उक्त खनन पट्टो के अन्तर्गत खनन कार्य नहीं करे अन्यथा आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी सो सूचित रहे।

हस्ता/ [illegible]
खनि कार्यदेशक [illegible]

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 21/05/2015 को श्रीमान खनि अभियन्ता द्वारा
दिए गये निर्देशों की पालना में मैं बिरद ग्राम सुजात का खेड़ा
के निकट द्वारा जारी खनन पट्टा 418/02, 425/02, 822/06
66/03, 61/03, 428/02, 219/03 को रद्द कर दिया गया था।
उक्त खनन पट्टों के अन्तर्गत पूर्व में अवैध खनन के क्रम में
विभागीय नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त खनन पट्टों को निरस्त
किया जा चुका है। जिसकी पालना पर रोकड़ की जाती
है कि उक्त खनन पट्टों के अन्तर्गत अवैध खनन का हो
तथा श्रीमान के दिये गये निर्देशों की पालना में उक्त खनन
पट्टों में जाने वाले रास्ते को खोदा गया। जिसकी मौके
पर फोटोग्राफी कि गयी। मौके पर उक्त खनन पट्टों के
अन्तर्गत खनन कार्य बंद होना पाया गया। तथा उक्त खनन
पट्टों के अन्तर्गत कोई मशीनरी / औजार / अवैध खननकर्ताओं
का नहीं होना पाया गया। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की
उपस्थिति में उक्त खनन पट्टों के रास्ते काटे गये। तथा मौका
रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये। जो आगे
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० [illegible]

[illegible]

ह० [illegible]

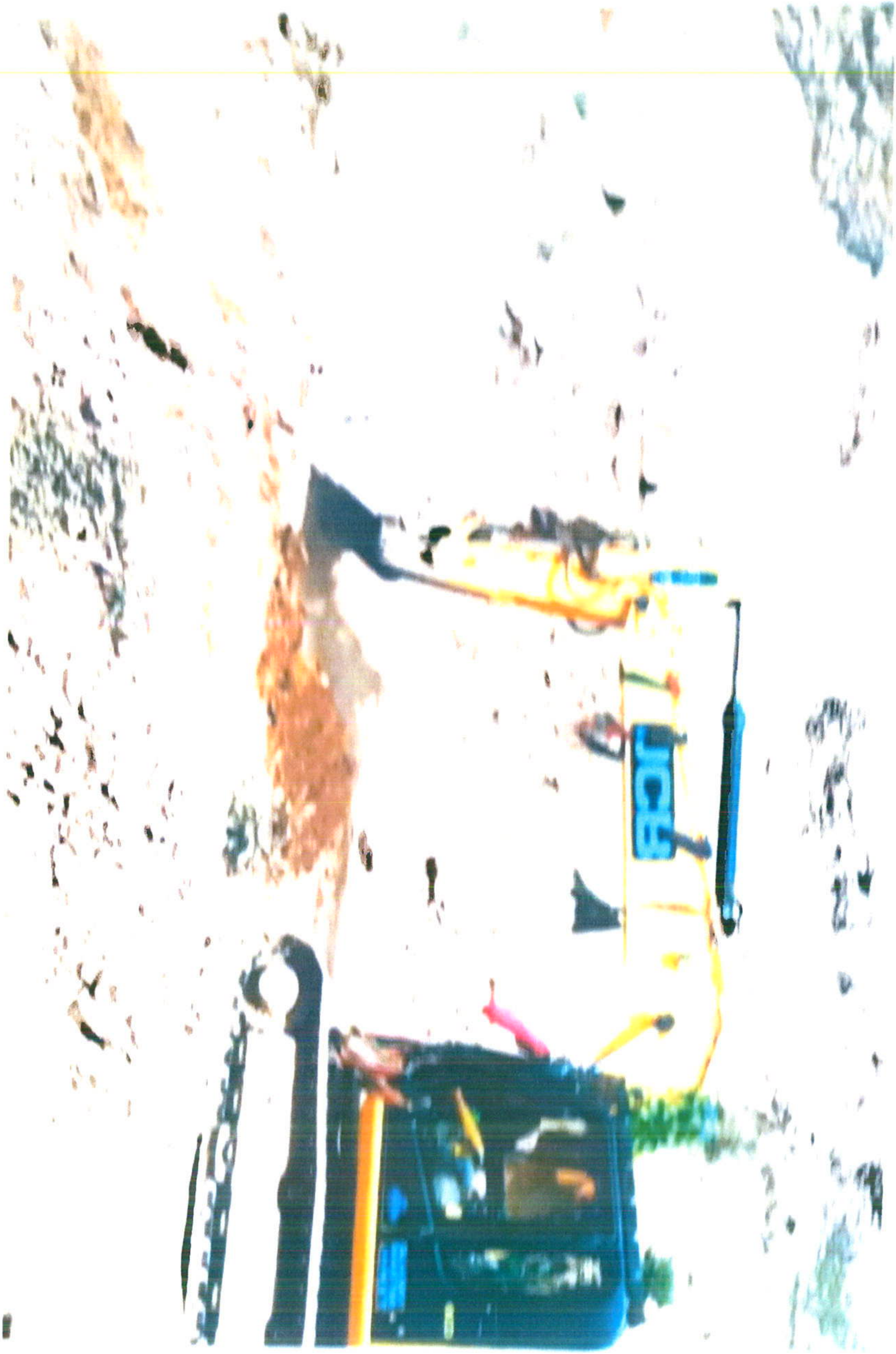
JCB